न्यायालय उपजिलाधिकारी, बेहट {सहारनपुर} ।
वाद संख्या: 07 /2005 अंतर्गत धारा-143 ज0वि0अधिनियम
महावीर इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलाजी बनाम सरकार
ग्राम-रसूलपुर कलां परगना-मुजफ्फराबाद तहसील-बेहट ।

आदेश
=====

श्री चमनशर्मा द्वारा चेयरमैन महावीर इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलाजी द्वारा इस आशय का प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह भूमि खाता संख्या-20 खसरा नंबर 682 म रकबा 1-529 है0 व खाता संख्या-170 खसरा नंबर 682 म रकबई 0-049 है0 के संक्रमणीय भूमिधर हैं। उक्त भूमि में से 1-229 है0 भूमि पर महावीर इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलाजी/विधालय का निर्माण हो चुका है । अतः उक्त भूमि को धारा-143 ज0वि0अ0 के अंतर्गत अकृषिक भूमि घोषित किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

उपर्युक्त के संबंध में तहसीलदार, बेहट द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या दिनांक 2-6-2005 में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भूमि वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज है। प्रश्नगत खसरा नंबरान के 1-229 है0 क्षेत्रफल में महावीर इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमैंट एण्ड टैक्नोलाजी /विधालय का निर्माण हो चुका है। यह भूमि कृषिक कार्यों, बागवानी, मत्स्य पालन, पशु-पालन आदि में प्रयुक्त नहीं हो रही है। अतः प्रश्नगत भूमि को धारा-143 ज0 वि0 वि0 के अन्तर्गत निर्धारित लगान 30-75 से मुक्त करते हुए अकृषिक भूमि घोषित किए जाने की संस्तुति की गयी है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि पर आबादी/विधालय का निर्माण हो जाने के कारण इसको अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित है। अतः भूमि खसरा नंबर 682 मि0 रकबा 1-529 है0 में से 1-229 है0 भूमि स्थित ग्राम रसूलपुर कलां जो महावीर इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलाजी द्वारा अध्यक्ष चमनशर्मा पुत्र बालेश्वर शर्मा नि0 532/2 नूरनगर सिंहानी गाजियाबाद एवं मंत्री धर्मेन्द्र भारद्वाज पुत्र महावीर नि0 न्यू सैनिक कालोनी कंकरखेड़ा मेरठ कैंट मेरठ के नाम संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज है, को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अंतर्गत निर्धारित लगान 30-15 रूपये से मुक्त करते हुए अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि की जाए। बाद पूर्ति पत्रावली संचित की जाए।

{अरूण प्रकाश}
उपजिलाधिकारी,
बेहट।

दिनांकः जून07 ,2005

प्रतिलिपिः-

1-तहसीलदार, बेहट को इस आशय से कि कृपया तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि कर अनुपालन आख्या भेजें।
2-उपनिबंधक, बेहट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी,
बेहट।

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी, बेहट जिला सहारनपुर।
वाद संख्या 34 /09–2010 धारा 143 ज0वि0अधि0
1–महावीर इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी द्वारा अध्यक्ष चमनशर्मा पुत्र बालेश्वर शर्मा निवासी 522/2 नूरनगर शिहानी गाजियाबाद————————————प्रार्थी।

बनाम सरकार उत्तर प्रदेश
ग्राम– रसूलपुर कलां
परगना मु0बाद

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही महावीर इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी द्वारा अध्यक्ष चमनशर्मा पुत्र बालेश्वर शर्मा निवासी 522/2 नूरनगर शिहानी गाजियाबाद के प्रार्थना पत्र दिनांक 05–2–10 के आधार पर प्रारम्भ हुई, जिसमें प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 682 म रकबाई 0.300हे0 व खसरा नं0 687 रकबई 0.279 हे0 वाके मौजा रसूलपुर कलां परगना मु0बाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर द्वारा बैनामा खरीद की थी जिसपर प्रार्थी काबिज बहैसियल अध्यक्ष महावीर इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी चला आता हूँ। प्रार्थी भूमि में कोई कृषि कार्य नही कर रहा हैं और न ही उक्त भूमि में बागवानी कुक्कुट पालन आदि कार्य नही हो रहा है। इस भूमि का वर्तमान में संस्थान के भवन व खेल के मैदान के रूप में प्रयोग हो रहा है। उक्त भूमि को लगान मुक्त करते हुए अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बेहट से जांच कराई गई। जांच आख्या दिनांक 08–02–2010 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 682म रकबा 0.300हे0, 687म रकबा 0.279हे0 भूमि रिक्त पडी है कृषि कार्य नही हो रहा है। उपरोक्त भूमि के चारो ओर चारदीवारी हेतु कार्य निर्माणाधीन है। भूमि संस्था द्वारा संचालित शैक्षणिक गतिविधियों एवं खेल के मैदान के रूप में प्रयुक्त हो रही है। भूमि अकृषिक प्रयोजन में है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने एवं भूराजस्व से मुक्त किये जाने हेतु संस्तुति तहसीलदार द्वारा की गई है।

महावीर इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी द्वारा अध्यक्ष चमनशर्मा पुत्र बालेश्वर शर्मा निवासी 522/2 नूरनगर शिहानी गाजियाबाद अपने सशपथ बयान में स्पष्ट किया है कि उक्त खसरा नम्बरान में कृषि कार्य नही हो रहा है बल्कि भूमि में संस्था द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों एवं खेल के मैदान एवं संस्था के भवन के प्रयोग में है। प्रश्नगत भूमि के सहखातेदारान मुकेश कुमार, राकेश कुमार के सशपथ बयान से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नही है।

अतः तहसीलदार बेहट की संस्तुति के आधार पर महावीर इन्स्टीटयूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी द्वारा अध्यक्ष चमनशर्मा पुत्र बालेश्वर शर्मा निवासी 522/2 नूरनगर शिहानी गाजियाबाद के नाम खतौनी वर्ष 1415–1420 फसली के खाता सं0 257 में अंकित ख0नं0 682म रकबई 0.300हे0, खाता सं0 317 के खसरा नम्बर 687 रकबा 0.279हे, से संबंधित भूमि को अकृषिक घोषित करते हुए लगान कमशः अंकन रू0 7.60, रू0 16.10 समाप्त किया जाता है। आदेश की एक–एक प्रति तहसीलदार, बेहट एवं उपनिबन्धक, बेहट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक पूर्ति पत्रावली दाखिल दफतर हो।
दिनांकः फरवरी 09, 2010

(राजेन्द्र सिंह)
सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/
उप जिलाधिकारी, बेहट।

प्रतिलिपिः–
1– तहसीलदार बेहट
2– उप निबन्धक बेहट

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी
उप जिलाधिकारी, बेहट।

नकल कर्ता
मिलान कर्ता